

उत्तर प्रदेश शासन  
राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-1053/ग्यारह-2-23-9(47)/17-टी.सी.218-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(283)-2023

लखनऊ: दिनांक: 09 अगस्त, 2023

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर एतद्वारा अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-136/ग्यारह-9(42)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(99)-2018 दिनांक 30 जनवरी, 2018 में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात्:-

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में, छठवें परंतुक में, शब्द, अक्षर और अंक "30 जून, 2023" के स्थान पर, शब्द, अक्षर और अंक "31 अगस्त, 2023" रख दिये जायेंगे।

2. यह अधिसूचना 30 जून, 2023 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

आज्ञा से,  
  
(नितिन रमेश गोकर्ण)  
अपर मुख्य सचिव